कार्यालय जिलाधिकारी, खगड़िया।

(जिला भू–अर्जन कार्यालय)

प्रपत्र–VI

समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता–सह– समुचित सरकार

प्रारंभिक अधिसूचना

(अधिनियम–30/2013 की धारा– 11 (1) के अधीन)

चूँकि समाहर्त्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम–दहमा खैरी खुटहा, थाना–गोगरी, थाना सं0–192, अंचल–अलौली, जिला–खगड़िया में कुल–3.085 एकड़ भूमि सार्वजनिक परियोजन, यथा, परियोजना–खगड़िया सोनमनकी घाट के बागमती नदी पर 7वें कि0मी0 पर आर0सी0सी0 पुल के पहूंच पथ एवं गाईड बांध पूर्वी के निर्माण हेतु अपेक्षित है, अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम– दहमा खैरी खुटहा, थाना–गोगरी, थाना सं0–192, अंचल–अलौली, जिला–खगड़िया में A.N.Sinha Institute of social Studies पटना से प्राप्त सामाजिक प्रभाव आकलन (एस0 आई0 ए0) की विशेषज्ञ समूह द्वारा मूल्यांकन किया गया। विशेषज्ञ समूह द्वारा मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि विशेषज्ञ समूह की राय में विषयांकित परियोजना की क्रियान्वयन हेतु भू–अर्जन लोक उद्देश्य के लिए किया जा रहा है तथा परियोजना से होने वाले लाभ प्रतीयमान क्षति की सापेक्षता में अधिक है। उक्त प्रतिवेदन के आधार पर उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 3.085 एकड़ मानक माप का भूखंड जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है

क्र0	खाता सं0	सर्वे भूखंड संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्र (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)
1	539	1220	खतियान/ केवाला/ लगान रसीद	भीठ	0.11	कौशी टेम्पल मुस्तवाहा	उ0–पिताम्बर द0–खेसरा सं0 1220 पू0–अबध किशोर प0–सड़क
2	46	1219	खतियान/ केवाला/ लगान रसीद	भीठ	0.06	पिताम्बर कुमार पिता बिनोद प्र0 सा0 सोनमनकी	उ0–विद्यालय द0–खेसरा सं0 1220 पू0–लल्लु प्रसाद प0–सड़क
3	46	1219	खतियान/ केवाला/ लगान रसीद	भीठ	0.21	अबध किशोर प्रसाद वो देवनाथ प्र0 पिता गिरजानंद प्रसाद सा0 सोनमनकी	उ0–पिताम्बर प्रसाद द0–खेसरा सं0 1219 पू0–मसो0 गीता देवी प0–खेसरा सं0 1220
4	46	1219	खतियान/ केवाला/ लगान रसीद	भीठ	0.24	मसो0 गीता देवी पति स्व0 पंचलाल प्रसाद 1 अंश वो सुरज साह, पिता दरोगा प्रसाद 1 अंश बराबर सा0 सोनमनकी	उ0–पिताम्बर द0–खेसरा सं0–1219 पू0–लल्लु प्रसाद प0–अवध किशोर

5	46	1219	खतियान/ केवाला/ लगान रसीद	भीठ	0.29	लल्लु प्रसाद वो सुभाष प्रसाद वो प्रभाष चन्द्र वो रमेश साह वो सतीश साह पिता परमानंद साह सा0 सोनमनकी	उ0–खेसरा सं0 1219 नीज द0–खेसरा सं0 1219 पू0–अजय गुप्ता प0–मसो0 गीता देवी
6	46	1219	खतियान/ केवाला/ लगान रसीद	भीठ	0.14	अजय गुप्ता पिता राम लगीना प्र0 गुप्ता सा0 सोनमनकी	उ0–नीज द0–विरेन्द्र प्रसाद पू0–किरण देवी प0–लल्लु प्रसाद
7	46	1219	खतियान/ केवाला/ लगान रसीद	भीठ	0.31	विरेन्द्र प्रसाद वो संदीप कुमार पिता बिक्रमानंद प्रसाद सा0 सोनमनकी अंश समान	उ0–अजय गुप्ता द0–खेसरा सं0 1219 पू0–श्यामदेव प्रसाद प0–लल्लु प्रसाद
8	46	1219	खतियान/ केवाला/ लगान रसीद	भीठ	0.10	किरण देवी पति नरेश प्रसाद सा0 सोनमनकी	उ0–नीज द0–वीरेन्द्र प्रसाद पू0–धर्मनाथ प0–अजय गुप्ता
9	46	1219	खतियान/ केवाला/ लगान रसीद	भीठ	0.035	धर्मनाथ प्र0 पिता उदित नारायण प्रसाद सा0 सोनमनकी	उ0–नीज द0–श्यामदेव पू0–नीज प0–किरणदेवी
10	46	1219	खतियान/ केवाला/ लगान रसीद	भीठ	0.55	श्यामदेव प्रसाद पिता गोखूल 1 अंश वो नरेश प्रसाद पिता बाल्मीकी प्रसाद 1 अंश वो ललन प्रसाद पिता किशुनदेव प्रसाद 1 अंश वो लालबाबु प्रसाद पिता बिनोद प्रसाद 1 अंश वो धर्मनाथ प्रसाद पिता उदित नारायण प्रसाद 1 अंश सा0 सोनमनकी	उ0–धर्मनाथ प्रसाद द0–सर्वे नदी खेसरा सं0 2780 पू0–राजेश गुप्ता प0–बिरेन्द्र प्रसाद
11	46	1219	खतियान/ केवाला/ लगान रसीद	भीठ	0.05	राजेश गुप्ता पिता स्व0 मोहन गुप्ता सा0 खगड़िया	उ0–नीज द0–सर्वे नदी पू0–नीज प0–श्यामदेव प्रसाद
12		1218	खतियान/ केवाला/ लगान रसीद	भीठ	0.05	राजेश गुप्ता पिता स्व0 मोहन गुप्ता सा0 खगड़िया	उ0–नीज द0–सर्वे नदी पू0–सर्वे नदी प0–नीज
13	315	2780	खतियान/ केवाला/ लगान रसीद	भीठ	0.94	मुस्तवाहा	उ0–खेसरा–1218 द0–नदी वागमती पू0–सिमाना माड़र प0–खेसरा सं0–2780 का अंक

यह अधिसूचना भू–अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा– 11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, खगड़िया के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। समाहर्त्ता–सह– समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एंव यथाविनिर्दिष्ट कार्यो के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यो के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, खगड़िया और उनके कर्मचारी श्री आनन्द प्रकाश राम, कानुनगों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा – 11 (4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोइ विल्लगत उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा– 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60) दिनों के अंतर्गत भू–अर्जन की बावत किसी प्रकार की आपतियाँ हितबद्व व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, खगड़िया के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

समाहर्त्ता,
खगड़िया

ज्ञापांक 482 /भू–अ0, दिनांक 30-10-17

प्रतिलिपिः–

1. निदेशक भू–अर्जन, निदेशालय, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
2. आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल मुंगेर को सूचनार्थ प्रेषित।
3. निदेशक सूचना एवं जनसम्र्पक विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि दो दैनिक समाचार पत्रों में स्थानीय भाषा में प्रकाशन कराने का कष्ट करें।
4. प्रभारी उप समाहर्त्ता, जिला गजट, खगड़िया को जिला गजट के अगले असधारण अंक में प्रकाशनार्थ एंव प्रकाशित जिला गजट की बीस–बीस प्रतियाँ इस कार्यालय को एवं जिला भू–अर्जन कार्यालय को भेजने हेतु प्रेषित।
5. जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी (एन0आई0सी0), खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि वेबसाईट पर प्रकाशित करना सुनिश्चित करेगें।
6. कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

समाहर्त्ता
खगड़िया